

राजस्थान विधान सभा
सप्तम् सत्र
कार्य-सूची
मंगलवार, दिनांक 23 अगस्त, 2011

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) उप सचिव (सामान्य), विधान सभा गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है ।

(ख) अध्यादेश

(I)- श्री शांती कुमार धारीवाल, स्वायत्त शासन मंत्री, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (वर्ष 2011 का अध्यादेश संख्यांक-02) सदन की मेज पर रखेंगे ।

(II)- डॉ. जितेन्द्र सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री, निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखेंगे :-

- 1- आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्यांक-03);
- 2- महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्यांक-04);
- 3- जे.के. लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्यांक-05);
- 4- मणिपाल अन्तरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्यांक-06);
- 5- प्रताप विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्यांक-07);
- 6- सनराइज विश्वविद्यालय, बगड़ राजपूत (अलवर) अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्यांक-08); एवं
- 7- मणिपाल अन्तरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन) (संशोधन) अध्यादेश, 2011(2011 का अध्यादेश संख्यांक-09);

जारी..2..

2. विधायी कार्य

पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक

(1) राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

- (I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011
(2011 का विधेयक संख्या-25)
- "राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(2) राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2011

- (I) श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2011
(2011 का विधेयक संख्या-26)
- "राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(3) राजस्थान नगरीय पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2011

- (I) श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
राजस्थान नगरीय पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2011
(2011 का विधेयक संख्या-27)
- "नगरीय पथ विक्रेताओं की जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय तथा इससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का विनियमन करने के लिये विधेयक।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(4) राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2011

- (I) श्री ऐमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियाँ), प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान आयुर्वेद
विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन)
विधेयक, 2011
(2011 का विधेयक संख्या-28)

"राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के नाम को परिवर्तित करने और राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 में कतिपय संशोधन करने के लिये विधेयक।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(5) जे.के. लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011

- (I) डॉ० जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

जे.के. लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय,
जयपुर विधेयक, 2011
(2011 का विधेयक संख्या-19)

"राजस्थान राज्य में जे.के.लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने के लिये विधेयक।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत जे.के. लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्या-05) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

(6) आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011

- आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय,
जयपुर विधेयक, 2011
(2011 का विधेयक संख्या-20)
- (I) डॉ. जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
"राजस्थान राज्य में आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने के लिये विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्या-03) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

(7) प्रताप विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011

- प्रताप विश्वविद्यालय, जयपुर
विधेयक, 2011
(2011 का विधेयक संख्या-21)
- (I) डॉ. जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
"राजस्थान राज्य में प्रताप विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने के लिये विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत प्रताप विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्या-07) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

(8) सनराइज विश्वविद्यालय, बगड़ राजपूत (अलवर) विधेयक, 2011

- सनराइज विश्वविद्यालय, बगड़
राजपूत(अलवर) विधेयक, 2011
(2011 का विधेयक संख्या-22)
- (I) डॉ. जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
"राजस्थान राज्य में सनराइज विश्वविद्यालय, बगड़ राजपूत (अलवर) की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने के लिये विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत सनराइज विश्वविद्यालय, बगड़ राजपूत (अलवर) अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्या-08) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

(9) मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011

- मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुर
विधेयक, 2011
(2011 का विधेयक संख्या-23)
- (I) डॉ. जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
"राजस्थान राज्य में मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने के लिये विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत मणिपाल अन्तरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्या-06) एवं मणिपाल अन्तरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन) (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्या-09) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

(10) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011

महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान और
प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
जयपुर विधेयक, 2011
(2011 का विधेयक संख्या-24)

- (I) डॉ. जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
"राजस्थान राज्य में महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने के लिये विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्या-04) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

जारी....7

3. शोकाभिव्यक्ति

निम्नांकित के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा एवं श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी :-

1. डॉ. पी.सी. एलेक्जेंडर पूर्व राज्यपाल, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र।
2. श्री दोरजी खाण्डू मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश ।
3. श्री भजन लाल पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा।
4. श्री दौलतराम सारण पूर्व केन्द्रीय मंत्री, सदस्य दूसरी, तीसरी व चतुर्थ राजस्थान विधान सभा तथा सदस्य, छठी, सातवीं व नवीं लोकसभा।
5. श्री तकीउद्दीन अहमद पूर्व राज्यमंत्री व सदस्य, सातवीं व ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा।
6. श्री रामदेव सिंह पूर्व मंत्री एवं सदस्य, दूसरी से चौथी तथा छठी से नवीं राजस्थान विधान सभा।
7. श्री डूंगरराम पंवार पूर्व उप मंत्री एवं सदस्य, छठी, आठवीं व नवीं राजस्थान विधान सभा।
8. श्री कालूलाल खटीक पूर्व सदस्य, ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा।
9. श्री सुख लाल सैणचा पूर्व सदस्य, पांचवी, छठी सातवीं व दसवीं राजस्थान विधान सभा।
10. श्री सुनील कुमार विश्नोई पूर्व सदस्य, सातवीं व नवीं राजस्थान विधान सभा।
11. श्री डूंगाराम राजोरिया पूर्व सदस्य, तृतीय व चतुर्थ राजस्थान विधान सभा।
12. श्रीमती उमा माथुर पूर्व सदस्य, तृतीय राजस्थान विधान सभा
13. श्री भवानी सिंह महावीर चक्र से सम्मानित।
14. मुम्बई बम विस्फोट के मृतक।
15. मथुरा-छपरा एक्सप्रेस व एक बस की भिडन्त के मृतक।
16. कालका एक्सप्रेस दुर्घटना के मृतक।

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 22 अगस्त, 2011

सीताराम सोनवाल
उप सचिव (सामान्य)

नोट- प्रश्नकाल एवं शून्यकाल नहीं होगा।